VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
रावतभाटा रोड, कोटा

Website : www.vmou.ac.in

57 वीं वित्त समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण		
स्थल	:	कुलपति सचिवालय
दिनांक	:	07 जनवरी 2019, सोमवार
समय	:	दोपहर 12.00 बजे

VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
रावतभाटा रोड, कोटा

माननीय सदस्यों की सूची

1	*प्रो. अशोक शर्मा* कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	अध्यक्ष
2	*शासन सचिव* उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।	सदस्य
3	श्री टी पी मीना *सभांगीय आयुक्त (प्रतिनिधि)* कोटा सभांग, कोटा	सदस्य (वित्त विभाग के प्रतिनिधि)
4	श्री महेन्द्र कुमार मीना कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	(विशेष आमंत्रित)
5	डॉ0 रश्मि बोहरा, निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र, उदयपुर	सदस्य
6	श्री अरविन्द गोयल, सी.ए. 15–ए, बल्लभनगर, कोटा	सदस्य
7	*एस. एन. शर्मा* वित्त नियंत्रक, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	सदस्य–सचिव

नोट :– शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर अथवा उनके प्रतिनिधि किसी कारणवश उक्त बैठक में भाग नही ले सके।

VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
रावतभाटा रोड, कोटा

कार्यवाही विवरण

(57 वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 07 जनवरी, 2019)

वि.स.क्र. 57.1 : **वित्त समिति की 56वीं बैठक का कार्यवाही विवरण :–**

वित्त समिति की 56 वीं बैठक दिनांक 05.01.2018 को कुलपति सचिवालय में प्रो. अशोक शर्मा, कुलपति, वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय, कोटा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
56 वीं वित्त समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण जो कि पत्रांक 1551–56 दिनांक 09.01.2018 द्वारा प्रसारित किया गया। जिस पर निर्धारित अवधि तक किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नही की गई।

अतः गत बैठक का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया।

संकल्प	समिति द्वारा अवलोकन कर कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

वि.स.क्र. 57.2 : 56वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 05.01.2018 में लिये गये निर्णयों का अनुपालना–प्रतिवेदन :–

कार्य बिन्दु सं.	कार्य बिन्दु का विवरण	वित्त समिति द्वारा लिया गया निर्णय	क्रियान्विति
56/1	वित्त समिति की 55वीं बैठक दिनांक 27/12/16 का कार्यवाही विवरण (Minutes) अनुमोदनार्थ।	वित्त समिति की 55वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।	निर्णयानुसार कार्यवाही की गयी।
56/2	वित्त समिति की 55वीं बैठक दिनांक 27/12/16 में लिये गये निर्णयों पर पालना प्रतिवेदन (Action Taken Report) वित्त समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	वित्त समिति की 55वीं बैठक में लिये गये निर्णयों के पालना प्रतिवेदन का अवलोकन कर अनुमोदित किया गया।	निर्णयानुसार कार्यवाही की गयी।
56/3	बजट नोट	समिति द्वारा बजट नोट का अवलोकन किया गया।	
56/4	विश्वविद्यालय की आय/प्राप्तियों वित्तीय वर्ष 2017–18 के संशोधन बजट अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत	समिति द्वारा विश्वविद्यालय की आय/प्राप्तियों के वर्ष 2017–18 के लिये प्रस्तुत संशोधित बजट अनुमान एवं वर्ष 2018–19 के लिये प्रस्तुत बजट प्रावधानों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया तथा प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त करते हुये प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ रखें जाने की अभिशंसा की गयी।	पूर्वोक्त बजट प्रबन्ध मण्डल की 95वीं बैठक में अनुमोदित किया गया।

56/5	विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2017–18 का संशोधित बजट अनुमान एवं वर्ष 2018–19 का प्रस्तावित बजट अनुमान अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।	विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2017–18 हेतु रू. 7975.25 लाख का बजट एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु रू. 8179.00 लाख का बजट वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया। समिति द्वारा आय की सीमा तक ही व्यय को सीमित रखे जाने का निर्देश दिया गया।	समिति के निर्देशानुसार कार्यवाही सम्पादित की गयी/की जा रही है।
56/6	आयोजना एवं आयोजना भिन्न अन्तर्गत बजट मद में टोकन प्रावधान होने के कारण व्यय को विश्वविद्यालय की निजी आय से करने का प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।	समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर स्वीकृति प्रदान की गयी।	समिति के निर्देशानुसार कार्यवाही सम्पादित की गयी/की जा रही है।
56/7	सेन्टर फॉर इन्टरप्रिन्योरशिप एण्ड स्किल डेवलपमेन्ट (सी.ई.एस.डी.) के अन्तर्गत संचालित विविध कार्यक्रमों के समक्ष मानदेय/किराये/सामग्री की दरों के निर्धारण के संबंध में।	समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर पूर्वाक्त सारणी में अंकित दरों की पुष्टि की गई ।	पत्रांक वमखुवि/लेखाएवंवित/56 (वि.स.) 2018/ 128–129 दिनांक 27.04.2018 से वांछित आदेश जारी किये गये।
56/8	राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत समय–समय पर सशोधित /निर्धारित वेतन–भत्तों, यात्रा भत्तों, चिकित्सा सहायता पुनर्भरण, पी.एफ. ब्याज दरों, पेन्शन परिलाभों इत्यादि के अंगीकृत करने के संबंध में।	समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।	पत्रांक वमखुवि/लेखाएवंवित/56 (वि.स.) 2018/ 130–131 दिनांक 27.04.2018 से वांछित आदेश जारी किये गये।
56/9	विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों की सनदी लेखाकार द्वारा परीक्षित अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अवलोकन के संबंध में।	समिति द्वारा विष्वविद्यालय के पूर्वोक्त वार्षिक लेखों के सनदी लेखाकार द्वारा परीक्षित अंकेक्षण प्रतिवेदनों का अवलोकन किया गया।	समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
56/10.1	वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 की अवधि की विषेष जांच प्रतिवेदनों के आक्षेपों के निस्तारण करवाने हेतु कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।	समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचार विमर्ष किया गया तथा विशेष जांच प्रतिवेदन वर्ष 1995–96 के अनुच्छेद संख्या 3,8,24,17 का वित्त नियंत्रक द्वारा परीक्षणोंपरान्त बोर्ड के अनुमोदन हेतु माननीय कुलपति महोदय को प्रावधित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।	पत्रांक वमखुवि/लेखाएवंवित/56 (वि.स.) 2018/ 132–133 दिनांक 27.04.2018 से वांछित आदेश जारी किये गये।
56/10.2	कुल सचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के पत्रांक वमखुवि/संकाय/ 18/27 दिनांक 03/1/18 द्वारा विद्या परिषद की 57वीं बैठक दिनांक 02, जनवरी 2018 एवं राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक 6462 दिनांक 21/08/2017 में लिये गये निर्णय की पालना में विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग से सम्बन्धित कार्यों हेतु शिक्षकों का मानदेय की अधिकतम सीमा बढ़ाए जाने के संबंध में।	समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचार विमर्ष किया गया तथा राज्यपाल सचिवालय से जारी पत्र दिनांक 21.8.2017 के परिपेक्ष्य में प्रत्येक परीक्षक को प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिये मानदेय की अधिकतम सीमा रू. 1.00 लाख एवं प्रश्न पत्र तैयार करने संबंधी कार्य के मानदेय की अधिकतम सीमा 60.00 हजार नियत करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	पत्रांक वमखुवि/लेखाएवंवित/56 (वि.स.) 2018/ 134–135 दिनांक 27.04.2018 से वांछित आदेश जारी किये गये।
56/10.3	राज्यपाल सचिवालय के पत्र कमांक 6462 दिनांक 21/8/2017 की पालना में विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की शुल्कों की दरों में संशोधन एवं नवीन शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में	समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर प्रस्तावित दरों को निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	पत्रांक वमखुवि/लेखाएवंवित/56 (वि.स.) 2018/ 136–137 दिनांक 27.04.2018 से वांछित आदेश जारी किये गये।
56/10.4	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र कमांक F.1-3/2007(ccp-II) dated 11-01-2016 एवं F.1-3/2007(ccp-II) dated 23-04-2007 के अन्तर्गत परीक्षा शुल्क लौटाए जाने के संबंध में।	समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर प्रस्तावित दरें निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	पत्रांक वमखुवि/लेखाएवंवित/56 (वि.स.) 2018/ 138–139 दिनांक 27.04.2018 से वांछित आदेश जारी किये गये।
56/10.5	विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को दी जा रही/प्रस्तावित सुविधाओं के लिए निम्नानुसार शुल्क लगाए जाने का प्रस्ताव विद्या परिषद की 57वीं बैठक दिनांक 02 जनवरी 2018 की बैठक में प्रस्तुत किए गए थे, विद्या परिषद द्वारा अनुशंसा पश्चात वित्त समिति में अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ एवं अनुमोदन के संबंध में।	समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर प्रस्तावित दरें निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	पत्रांक वमखुवि/लेखाएवंवित/56 (वि.स.) 2018/ 140–141 दिनांक 27.04.2018 से वांछित आदेश जारी किये गये।

56 / 10.6	विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को Official Transcript उपलब्ध कराने के संबंध में।	समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर प्रस्तावित दरें निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	पत्रांक वमखुवि / लेखाएवंवित / 56 (वि.स.) 2018 / 142–143 दिनांक 27.04.2018 से वांछित आदेश जारी किये गये।
56 / 10.7	विश्वविद्यालय – कार्मिकों को अतिरिक्त कार्य की एवज में मानदेय / पारिश्रमिक दरों के निर्धारण के संबंध में	समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया तथा परीक्षा कार्य / सत्र के कार्य दिवसों के दौरान एवं अवकाश के दिनों में अतिरिक्त समय में कार्मिकों द्वारा संपादित अतिरिक्त कार्य की एवज में निम्नानुसार मानदेय स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई – 1. *Subordinate accounts / Ministrial Staff - Rs. 250/- per day* 2. *Class IV / Supporting staff - Rs. 150/- per day* *शर्तें –* *i. एक कर्मचारी को एक परीक्षा के लिए दिए जाने वाले मानदेय / पारिश्रमिक अधिकतम 60 दिन जो प्रत्येक सत्र में दो परीक्षाओं के लिए 120 दिनों से अधिक नहीं होगा।* *ii. एक कर्मचारी को कुल मानदेय प्रतिवर्ष (वित्तीय वर्ष) 1 माह के अधिकतम मासिक वेतन (मूल) से अधिक देय नहीं होगा।* *iii. अतिरिक्त कार्य के कारण कर्मचारी का मूल कार्य दुष्प्रभावित नहीं होना चाहिए।* *iv. अतिरिक्त कार्य के समक्ष नियमानुसार उपस्थिति पंजिका का संधारण किया जावे।*	पत्रांक वमखुवि / लेखाएवंवित / 56 (वि.स.) 2018 / 144–145 दिनांक 27.04.2018 से वांछित आदेश जारी किये गये।
56 / 10.8	परीक्षा कार्य के लिए एक लोडिग वाहन क्रय किये जाने के संबंध में।	समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर प्रस्तावित वाहन क्रय किये जाने हेतु राषि रू. 15 लाख का बजट प्रावधान (वर्ष 2018–19) स्वीकृत किया गया।	पत्रांक वमखुवि / लेखाएवंवित / 56 (वि.स.) 2018 / 146–147 दिनांक 27.04.2018 से वांछित आदेश जारी किये गये।
56 / 10.9	वैद्यानिक समितियों के बाह्य सदस्यों को देय मानदेय की दरों में वृद्वि के संबंध में।	समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचार विमर्ष किया गया एवं स्थानीय विश्वविद्यालयों की दरों के परिपेक्ष्य में विश्वविद्यालय की पूर्वोक्त विभिन्न विधिक समितियों के बाह्य सदस्यों को रू. 2000.00 (अक्षरे दो हजार रूपये मात्र) प्रति सदस्य / प्रति बैठक मानदेय की दरें निर्धारित / संशोधित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	पत्रांक वमखुवि / लेखाएवंवित / 56 (वि.स.) 2018 / 148–149 दिनांक 27.04.2018 से वांछित आदेश जारी किये गये।

संकल्प	**56 वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 05.01.2018 में लिये गये निर्णयों की अनुपालना का अवलोकन कर समिति द्वारा संतोष व्यक्त किया गया।**

वि.स.क्र. 57.3 : **बजट नोट का अवलोकन एवं विश्वविद्यालय की आय के वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट अनुमान एवं वर्ष 2018–19 के संशोधित बजट अनुमान के अनुमोदन के संबंध में।**

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये आय का अनुमान रुपये 8306.50 लाख रखा गया था, जिसके समक्ष दिनांक 30.11.2018 तक राशि रुपये 7080.25 लाख की आय/प्राप्तियां हुई है। वित्त वर्ष 2018–19 की शेष अवधि में संभावित आय को दृष्टिगत रखते हुये राशि रुपये 9112.79 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पूर्वोक्त प्राप्तियों में राज्य सरकार से संभावित अनुदान राशि रुपये 1030.00 लाख भी सम्मिलित है।

इसी प्रकार वित्त वर्ष 2019–20 के लिये संभावित आय के दृष्टिगत राशि रुपये 8837.70 लाख का बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया है जिसमें राज्य सरकार से प्राप्त होने वाला आयोजना भिन्न मद में संभावित अनुदान राशि रुपये 1280.00 लाख समाहित है। जिसका मदवार विवरण निम्नानुसार है –

INCOME

Block Grant & Budget Estimates of Income for the year 2018-19 & B.E. 2019-20

(Rs. In Lacs)

S.No.	Head of Income	2017-18	2018-19			B.E. 2019-20
		Actuals 2017-18	B.E. 2018-19	Actual Income up to 30/11/18	R.E. 2018-19	
1	2	3	5	6	7	8
1- Income from University Own Sources						
1	Self Financing Courses	7351.00	6250.00	4800.00	5900.00	6000.00
2	Interest on Deposits	450.00	350.00	350.00	575.00	550.00
3	Quarter Rent	1.54	1.50	1.05	1.50	1.50
4	Light & Water Charges	5.27	4.00	3.43	5.14	5.00
5	Misc. Fee & Other Receipts	1.00	1.00	0.77	1.15	1.20
6	RKCL Income	1398.00	800.00	1250.00	1600.00	1000.00
	Total "A"	**9206.81**	**7406.50**	**6405.25**	**8082.79**	**7557.70**
2- Grant from State Govt.						
7	Non-Plan Grant	552.75	900.00	675.00	1030.00	1280.00
Total :		***9759.56***	***8306.50***	***7080.25***	***9112.79***	***8837.70***

अतः वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये संशोधित आय के अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये आय के अनुमान समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प	समिति द्वारा बजट नोट का अवलोकन किया गया एवं विश्वविद्यालय की आय/प्राप्तियों के वर्ष 2018–19 के लिये प्रस्तुत संशोधित बजट अनुमान एवं वर्ष 2019–20 के लिये प्रस्तुत बजट प्रावधानों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया तथा प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त करते हुये प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ रखे जाने की अभिशंसा की गयी।

वि.स.क्र. 57.4 : विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2018–19 के व्यय के संशोधित बजट अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 के व्यय के बजट अनुमान अनुमोदन के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय व्यय मद में वित्त वर्ष 2018–19 के लिये राशि रुपये 8179.00 लाख के व्यय का लक्ष्य निर्धारित किया गया था किन्तु वित्त वर्ष 2018–19 में दिनांक 30.11.2018 तक राशि रुपये 5286.77 लाख रुपये का व्यय हो चुका है। इसलिए शेष अवधि में संभावित व्यय को दृष्टिगत रखते हुए वित्त वर्ष 2018–19 के लिये संशोधित व्यय राशि रुपये 9085.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

इसी प्रकार वित्त वर्ष 2019–20 के लिये संभावित व्यय को मध्यनजर रखते हुये राशि रुपये 8834.00 लाख के बजट अनुमान प्रस्तावित किये गये है। जिसका मदवार विवरण निम्नानुसार है –

EXPENDITURE

Budget Estimates of Expenditure for the year R.E. 2018-19 & B.E. 2019-20

(Rs. In Lacs)

S.No.	Head of Expenditure	Actual 2017-18	Budget B.E. 2018-19	Estimated Exp. As on 30/11/2018	R.E. 2018-19	B.E. 2019-20
A- Pay & Allowances						
1	Pay & Allowances	2156.65	3180.00	1494.49	3074.00	3000.00
	Total of "A" :	**2156.65**	**3180.00**	**1494.49**	**3074.00**	**3000.00**
B- Other Expenditure						
2	T.A. & D.A.	9.22	20.00	10.03	20.00	22.00
3	Medical Re-imbursement	28.45	40.00	20.10	40.00	40.00
4	Contengencies(Meetings/Outsource men power/Misc	36.12	65.00	55.08	85.00	90.00
5	Telephone Charges	6.42	7.00	4.12	7.00	8.00
6	Postage (Study Material & Postage)	152.68	150.00	133.43	200.00	210.00
7	Stationery	15.85	25.00	14.23	25.00	30.00
8	Liveries	2.80	4.00	1.12	3.00	3.00
9	Light & Water Charges	57.30	65.00	43.26	68.00	70.00
10	Security Services Expenses	62.24	70.00	48.96	75.00	80.00
11	Rent of Office Building	0.00	4.50	4.74	6.00	5.00
12	Hired Vehicle Charges	17.80	18.00	12.03	20.00	24.00
13	Legal Expenses	2.20	4.00	1.36	4.00	5.00
14	Membership Fee	0.50	1.00	0.00	1.00	1.00
15	Audit Charges	0.77	4.00	0.35	4.00	5.00
16	Publicity & Advertisement	38.08	60.00	34.73	60.00	62.00
17	V.C. Hospitality	0.00	1.00	0.00	0.50	0.50
18	Convocation & Other functions (Deepawali/Holi/Eid etc)	7.73	30.00	8.45	30.00	35.00
19	Maintenance of Building & Plantation	23.97	40.00	60.02	90.00	90.00
20	Maintenance of Guest-House	0.51	2.50	0.23	2.50	3.00
21	Examination Expenses	464.41	1000.00	619.39	900.00	1100.00
22	Evaluation of Assignments	39.16	35.00	23.82	40.00	45.00
23	Payment to Study centers	139.60	200.00	31.21	100.00	75.00
24	Printing/Purchase of Study Material	3.54	1300.00	1237.00	1550.00	1400.00
25	Insurance Charges	1.17	2.50	1.38	2.50	3.00
26	Repair of Furniture & Equipments	0.90	10.00	0.68	10.00	10.00
27	Running & Maintenance of Vehicle/DG Set	8.00	15.00	8.26	15.00	15.00
28	Student Support Services	93.91	125.00	55.38	125.00	130.00
29	Staff Training & Development	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
30	Seminar/Workshop/Foriegn visit	0.00	2.50	0.00	2.50	3.00
31	Development of SIM	0.00	40.00	0.00	40.00	45.00

32	Maitenance of Computers /Studio	0.79	5.00	0.70	5.00	8.00
33	Publication of University E Journals	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
34	Mediclaim Policy in New Contibutory Pension Scheme	2.31	5.00	2.39	4.00	4.50
35	Payment of Stipend (Library)	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
36	RKCL Exp.	636.00	600.00	380.00	700.00	800.00
Total of "B" :		**1852.43**	**3954.00**	**2812.45**	**4238.00**	**4425.00**
C- Provision/Funds						
37	Provision for Building Fund	200.00	100.00	100.00	150.00	200.00
38	Provisions for Corpus Fund	220.00	150.00	150.00	150.00	100.00
39	Provisions for Technology Fund/Automisation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Campus Development Fund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Staff Welfare Medical Fund	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
42	Staff Welfare Fund	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
43	Gratuity Fund	375.00	200.00	200.00	375.00	200.00
44	Pensioner Medical Fund	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00
45	Provisions of Pension	600.00	500.00	500.00	1000.00	800.00
46	Vice-Chancellor Disc. Fund	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Total of "C" :		**1400.00**	**955.00**	**955.00**	**1681.00**	**1304.00**
D- Capital Expenditure						
47	Purchase of Furniture & Equipments (includes Desert Cooler, Water Cooler, Zerox Machine)	17.43	50.00	3.01	30.00	50.00
48	Lab. Equipment	6.45	20.00	0.00	20.00	30.00
49	Library Books	4.30	5.00	0.00	5.00	5.00
50	Purchase of Vehicle	0.00	15.00	21.82	37.00	20.00
Total: "D"		**28.18**	**90.00**	**24.83**	**92.00**	**105.00**
Total of "A+B+C+D" :		***5,437.26***	***8,179.00***	***5,286.77***	***9,085.00***	***8,834.00***

अतः वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये संशोधित व्यय के अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये व्यय के अनुमान समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प	समिति द्वारा विश्वविद्यालय के व्यय मद के वर्ष 2018–19 के लिये प्रस्तुत संशोधित बजट अनुमान एवं वर्ष 2019–20 के लिये प्रस्तुत बजट प्रावधानों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया तथा प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त करते हुये प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ रखे जाने की अभिशंसा की गयी।

वि.स.क्र. 57.5 : पूंजीगत मद में परीक्षा हॉल के प्रथम तल का निर्माण कार्य आरएसआरडीसी के माध्यम से कराये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

विश्वविद्यालय के परीक्षा भवन में विद्यमान प्रथम तल पर स्थित कक्षों के अनुपात में परीक्षा कार्य में उतरोत्तर वृद्वि को दृष्टिगत रखते हुये परीक्षा भवन के द्वितीय तल पर निर्माण कार्य कराये जाने की आवश्यकता निरन्तर प्रतिपादित की जा रही है। इस हेतु प्रभारी अधिकारी सम्पदा द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये पूंजीगत मद में प्रस्तावित बजट अनुमान राशि रू0 142.69 लाख की मांग की गई है। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियमों के नियम 32 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अभिकरणो से बोली आमंत्रित किये बिना उपापन की विषय वस्तु उपाप्त किये जाने का प्रावधान है।

अतः तद्नुसार राज्य सरकार के उपक्रम आरएसआरडीसी के माध्यम से पूर्वोक्त निर्माण कार्य कराये जाने हेतु राशि रू0 142.69 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

संकल्प	समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर वांछित स्वीकृति प्रदान की गई।

वि.स.क्र. 57.6 : राज्यपाल सचिवालय के आदेश दिनांक 21.08.2017 की अनुपालना में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रायोगिक परीक्षा के प्रश्न पत्र निर्माण हेतु मानदेय की दरे निर्धारित करने के संबंध में।

राज्यपाल सचिवालय के आदेश क्रमांक एफ.1(38)आरबी/2015/6462 दिनांक 21.08.2017 से राज्य के विश्वविद्यालयों में मानदेय एवं पारिश्रमिक की दरें निर्धारित करने के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अतः तद्नुसार पूर्वोक्त आदेश की अनुपालना में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रायोगिक परीक्षा के प्रश्न पत्र निर्माण हेतु विद्यमान मानदेय की दरो को निम्नानुसार संशोधित किया जाना प्रस्तावित है –

क्र0सं0	प्रायोगिक परीक्षा के प्रश्न पत्र निर्माण हेतु देय मानदेय से संबंधित पाठ्यक्रम	विद्यमान दर	संशोधित दर
1	स्नातकोत्तर एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा	900/–	600/–
2	स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र	700/–	600/–

अतः प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प	समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर वांछित स्वीकृति प्रदान की गई।

वि.स.क्र. 57.7 : राज्यपाल सचिवालय के आदेश दिनांक 21.08.2017 की अनुपालना में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सैद्वांतिक परीक्षा के प्रश्न पत्र मय मार्किंग स्कीम सहित मॉडल उत्तर कुंजी निर्माण हेतु मानदेय की दरे निर्धारित करने के संबंध में।

राज्यपाल सचिवालय के आदेश दिनांक 21.08.2017 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सैद्वांतिक परीक्षा के प्रश्न पत्र मय मार्किंग स्कीम सहित मॉडल उत्तर कुंजी निर्माण कराया जाना अपेक्षित है। परीक्षा नियंत्रक द्वारा पूर्वोक्त प्रश्नपत्रों के निर्माण हेतु निम्नानुसार मानदेय की दरे निर्धारित करने की अनुशंसा की गई है –

क्र0सं0	सैद्वांतिक परीक्षा के प्रश्न पत्र निर्माण हेतु देय मानदेय से संबंधित पाठ्यक्रम	प्रस्तावित दर
1	प्रमाण पत्र, डिप्लोमा एवं डिग्री परीक्षा प्रति प्रश्न पत्र (मार्किंग स्कीम एवं मॉडल उत्तर कुंजी सहित)	2500/–
2	पी.जी. डिप्लोमा एवं स्नातकोतर डिग्री परीक्षा प्रति प्रश्न पत्र (मार्किंग स्कीम एवं मॉडल उत्तर कुंजी सहित)	3000/–

अतः प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प	समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर वांछित स्वीकृति प्रदान की गई।

वि.स.क्र. 57.8 : आरएससीआईटी परीक्षा में नियुक्त किये जाने वाले पर्यवेक्षकों को देय यात्रा भत्ता की विशेष दरे निर्धारित करने के संबंध में।

विश्वविद्यालय द्वारा कराई जाने वाली आरएससीआईटी परीक्षा में नियुक्त किये जाने वाले स्थानीय पर्यवेक्षकों को निर्धारित दर से मानदेय राशि प्रदान की जाती हैं तथा स्थानीय मुख्यालय होने से कोई यात्रा भत्ता नही दिया जाता है। लेकिन कई बार प्रशासनिक कारणवश मुख्यालय से बाहय पर्यवेक्षकों को आरएससीआईटी परीक्षा में नियुक्त किया जाता हैं जिनके लिये वर्तमान में स्वयं के वाहन से यात्रा करने हेतु विशेष दरे स्वीकृत नही हैं। ऐसी स्थिति में आलोच्य पर्यवेक्षको के यात्रा भत्ता बिलो के भुगतान करने में कठिनाई होती है।

तद्नुसार परीक्षा नियंत्रक द्वारा विशेष परिस्थितियो में बाहय पर्यवेक्षकों के परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा सामग्री पहुचाने और उसे वापिस एकत्रित करने सहित पर्यवेक्षण कार्य हेतु स्वयं के वाहन का उपयोग करने की स्वीकृति एवं राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अन्तर्गत निर्धारित विशेष दर राशि रू0 9.00 प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान प्रस्तावित किया गया हैं।

अतः प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प	समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं प्रशासनिक व्यवस्था के परिपेक्ष्य में प्रश्न पत्रों/उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा/संरक्षा/गोपनीयता को मध्यनजर रखते हुये वांछित स्वीकृति प्रदान की गई।

वि.स.क्र. 57.9 : आरएससीआईटी परीक्षा में नियुक्त किये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारीगण को देय मानदेय/पारिश्रमिक की दरों में वृद्वि करने के संबंध में।

विश्वविद्यालय द्वारा कराई जाने वाली आरएससीआईटी परीक्षा में नियुक्त किये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारीगण को निर्धारित दर से मानदेय राशि प्रदान की जाती हैं। उक्त मानदेय दरे लगभग 3 वर्ष पूर्व स्वीकृत की गई थी। आरकेसीएल द्वारा परीक्षा सम्पादन हेतु विश्वविद्यालय को देय प्रति छात्र राशि रू0 145/– को बढाकर राशि रू0 185/– प्रति छात्र कर दिया गया है।

अतएव परीक्षा नियंत्रक द्वारा आरएससीआईटी परीक्षा में नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को देय मानदेय/पारिश्रमिक दरों को बढी हुई महगांई के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार वृद्वि किये जाने की अनुशंसा की गई है –

क सं	पद	संख्या	विद्यमान पारिश्रमिक दरें	नवीन प्रस्तावित पारिश्रमिक दरे
1	जिला शिक्षा अधिकारी	01	रू0 1200/– एक मुश्त	रू0 1500/– एक मुश्त
2	जिला समन्वयक	01	रू0 500/– (प्रतिदिन) तीन दिवस के लिय	रू0 600/– (प्रतिदिन) तीन दिवस के लिये
3	केन्द्राधीक्षक	एक	रू0 700/– (एक मुश्त)	रू0 1000/– (एक मुश्त)
4	अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक (500 परिक्षार्थियों से अधिक होने पर)	एक	रू0 500/–(एक मुश्त)	रू0 700/–(एक मुश्त)
5	वीक्षक (प्रति 24 परिक्षार्थियों पर एक)	पंजीकृत विद्यार्थियो के अनुसार	रू0 150/– (प्रति वीक्षक)	रू0 300/– (प्रति वीक्षक)
6	सुपरवाइजर (प्रति 250 परिक्षार्थियों पर एक)	पंजीकृत विद्यार्थियो के अनुसार	रू0 150/– (प्रति सुपरवाइजर)	रू0 300/– (प्रति सुपरवाइजर)
7	मंत्रालयिक कर्मचारी (प्रति केन्द्र)	दो	रू0 120/– (प्रति कर्मचारी प्रति दिन) दो दिवस के लिये	रू0 240/– (प्रति कर्मचारी प्रति दिन) दो दिवस के लिये
8	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (300 परिक्षार्थियों तक दो, तदुपरांत प्रति 150 परिक्षार्थियो पर एक अतिरिक्त)	पंजीकृत विद्यार्थियो के अनुसार	रू0 100/– (प्रति कर्मचारी प्रति दिन) दो दिवस के लिये	रू0 200/– (प्रति कर्मचारी प्रति दिन) दो दिवस के लिये
9	नियंत्रक कक्ष में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ड्यूटी के भुगतान हेतु।	.....	रू0 150/– प्रतिदिन (तीन दिन के लिये) रात्रि शिफ्ट में ड्यूटी करने पर रू0 300/– प्रति रात्रि	250/– (तीन दिन के लिये) रात्रि शिफ्ट में ड्यूटी करने पर रू0 400/– प्रति रात्रि पारिश्रमिक

अतः प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प	समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर वांछित स्वीकृति प्रदान की गई।

वि.स.क्र. 57.10: आरएससीआईटी परीक्षा हेतु बनवाये जाने वाले प्रश्न पत्र हेतु देय मानदेय/ पारिश्रमिक की दरों में वृद्वि करने के संबंध में।

विश्वविद्यालय द्वारा कराई जाने वाली आरएससीआईटी परीक्षा हेतु बनवाये जाने वाले प्रश्नपत्र की पारिश्रमिक राशि रू0 1000/– निर्धारित है। परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रश्नपत्र निर्माण करने वाले शिक्षकों/विशेषज्ञों की मांग के परिपेक्ष्य में विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं यथा बीएड, एमबीए के समरूप रू0 50/– प्रति प्रश्न मय उत्तर कुंजी की दर से आरएससीआईटी प्रश्नपत्र में समाविष्ट कुल 35 प्रश्नों की संख्या के आधार पर विद्यमान पारिश्रमिक राशि रू0 1000/– से बढाकर राशि रू0 1750/– निर्धारित करने की अनुशंसा की गई है।

अतः प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प	समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर वांछित स्वीकृति प्रदान की गई।

वि.स.क्र. 57.11: विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल, विद्या परिषद्, वित्त समिति इत्यादि प्राधिकारियों की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों/अतिथियों को देय यात्रा भत्ता की विशेष दरों की स्वीकृति के संबंध में।

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल, विद्या परिषद्, वित समिति इत्यादि प्राधिकारियों की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों/अतिथियों को मानदेय के अतिरिक्त राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अन्तर्गत बाह्य सदस्यों को यात्रा भत्ता प्रदान किया जाता है। लेकिन कतिपय प्रकरणों में बाह्य सदस्यों/अतिथियों द्वारा स्वयं के वाहन/संस्था के वाहन से यात्रा करने पर मील भत्ते की विशेष दरे निर्धारित नही होने से यात्रा भत्ता बिलो के भुगतान में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है।

ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल, विद्या परिषद्, वित्त समिति इत्यादि प्राधिकारियों की बैठक में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों/अतिथियों को स्वयं के वाहन/संस्था के वाहन से यात्रा करने की अवस्था में राशि रू0 9.00 प्रति किलोमीटर (मय टोल चार्जेज) की दर से अथवा किराये के वाहन का उपयोग करने की स्थिति में वास्तविक वाहन किराया (मय टोल चार्जेज) भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

अतः प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प	समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं विश्वविद्यालय की प्रस्तावित बैठको में आमंत्रित प्रबन्ध मण्डल, विद्या परिषद, वित्त समिति के सदस्यों सहित चयन समिति हेतु आमंत्रित विषय विशेषज्ञों/अधिकारियों/सदस्यों को भी प्रस्ताव अनुसार यात्रा भत्ता की विशेष दरो की वांछित स्वीकृति प्रदान की गई।

वि.स.क्र. 57.12: निरीक्षण विभाग राजस्थान वर्ष 1995–96 की अवधि की विशेष जांच प्रतिवेदनों के आक्षेपों के निस्तारण करवाने हेतु कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निदेशालय निरीक्षण विभाग राजस्थान जयपुर के विशेष जॉच प्रतिवेदन संख्या 41/95–96 की अनुपालना निदेशालय निरीक्षण विभाग को प्रेषित की गई थी। निदेशालय निरीक्षण विभाग के पत्रांक 3184 दिनांक 15.03.2016 (प्रति संलग्न अनुलग्नक–2) से संदर्भित अनुपालना पर अनुच्छेद संख्या 3,8,24,70 के संबंध में शासी परिषद/प्रबन्ध मण्डल से अनुमोदन कराये जाने की टिप्पणी की गई है। अनुच्छेदों का विवरण निम्नानुसार है –

अनुच्छेद सं0	अनुच्छेद का संक्षिप्त विवरण	अनुपालना
03	गेदरेज फर्नीचर एवं टाईपराईटर राशि रू0 4.00 लाख की खरीद सीधे ही क्रमशः मैसर्स गोदरेज एवं सहकारी उपभोक्ता भण्डार से किये जाने संबंधी वित्तीय अनियमितता	विश्वविद्यालय की आवश्यकता का अवधारण कर स्वीकृत बजट प्रावधान की सीमा में क्रय समिति के माध्यम से गुणवतायुक्त फर्नीचर मैसर्स गोदरेज (प्रोपराईटरी आईटम) के अधिकृत विक्रेता से क्रय किया गया था एवं टाईपराईटर का क्रय सहकारी उपभोक्ता भण्डार के माध्यम से किया गया था। उक्त क्रय तत्कालीन प्रचलित बाजार दरों पर मार्केट सर्वे उपरान्त उपापन समिति की सिफारिश पर माननीय कुलपति के अनुमोदन प्राप्त कर किया गया है, जो न्यायोचित है।
08	कार्यालय पर्दो का क्रय खादी भण्डार से न कर बाजर से क्रय किये जाने संबंधी वित्तीय अनियमितता राशि रू0 24382/–	विश्वविद्यालय के विभिन्न अनुभागों की मांग के अनुसार समय समय पर उपापन समिति के माध्यम से प्रचलित बाजार दरों पर कार्यालय उपयोग हेतु गुणवतायुक्त पर्दो का क्रय प्रतिष्ठित एवं विश्वसनीय होलसेल डीलर के माध्यम से किया गया है, जो न्यायोचित है।
24	स्थानीय यात्राओं के लिये वाहन व्यय राशि रू0 9197/– का अधिक भुगतान	खुला विश्वविद्यालय परिसर शहर से लगभग 16 किलोमीटर दूर तत्कालीन समय में अविकसित क्षेत्र में स्थित होने से यातायात के नियमित संसाधनों का अभाव होने से स्थानीय यात्रा के लिये यात्रा भत्ता नियमों में प्रचलित दर राशि रू0 1.50 प्रति किलोमीटर की दर से माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरान्त मंत्रालयिक/चतुर्थ श्रेणी/अधीनस्थ सेवा के कार्मिको को विश्वविद्यालय कार्य प्रयोजनार्थ यात्रा भत्ते के रूप में वाहन व्यय स्वीकृत किया गया है, जो न्यायोचित है।
70	खुली निविदा के स्थान पर सीमित निविदा से फार्म छपाई में अनियमित भुगतान राशि रू0 55239/–	विश्वविद्यालय की तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुये समय समय पर सीमित निविदा हेतु निर्धारित सीमा राशि रू0 30 हजार के अन्तर्गत परीक्षा फार्मो की छपाई का कार्य उपापन समिति के माध्यम से सीमित निविदायें आमंत्रित कर प्रचलित एवं न्यूनतम दरदाता स्थानीय प्रिन्टर्स के माध्यम से उपापन किया गया है, जो न्यायोचित है।

अतः निदेशालय निरीक्षण विभाग के पूर्वोक्त पत्र दिनांक 15.03.2016 के परिपेक्ष्य में उक्त उपापन/पालना के प्रबन्ध मण्डल से अनुमोदन/वांछित कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रकरण वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

संकल्प	**समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर अपेक्षित सहमति प्रदान की गई।**

वि.स.क्र. 57.13: सेवानिवृत वित्त नियंत्रक की पुनर्नियुक्ति पर सेवाऐं लेने के संबंध मे।

विश्वविद्यालय में वित्त नियंत्रक की प्रतिनियुक्ति वित्त विभाग, राज्य सरकार द्वारा की जाती है लेकिन विगत वर्षो में वित्त नियंत्रक की अनुपलब्धता की अवस्था में वित्त नियंत्रक के पद रिक्त रहने अथवा वित्त नियंत्रक के निरन्तर स्थानान्तरण से लघु अवधि में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय के लेखा एवं वित्त संबंधी कार्यो में कठिनाई उत्पन्न होने पर उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार (प्रशासनिक विभाग) से विश्वविद्यालय के सेवानिवृत वित्त नियंत्रक श्री एस एन शर्मा की पुनर्नियुक्ति की अनुमति प्राप्त कर श्री शर्मा को कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 08.02.2018 के अन्तर्गत एक वर्ष के लिये विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 1176–82 दिनांक 09.08.2018 से वित्त नियंत्रक के रिक्त पद पर पुनर्नियुक्त किया गया है।

अतः प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकन एवं पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प	समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर पुष्टि की गई।

वि.स.क्र. 57.14: विश्वविद्यालय अशैक्षणिक कार्मिकों की उच्चतर वेतन श्रृंखलाओं में वेतन नियतन प्रकरणों की विशेष जाँच में आक्षेपित अनियमित भुगतान की वसूली के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों की पालना के संबंध मे।

उच्च शिक्षा ग्रुप–5 विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 1 (2)उशि/ग्रुप–5/2018 दिनाँक 27.11.2018 से वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य निधि की ब्लॉक ग्रांट की द्वितीय एवं तृतीय किश्त की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाकर निम्नांकित शर्तो के अध्ययधीन पूर्वोक्त अनुदान राशि का व्यय किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं :–

"[i] Pay and allowances, etc given to the University employees at a scale higher than that prevalent in the Government without the Government's approval shall be stopped forthwith failing which grant on theses posts shall not be eligible.
[ii] Special Pay given on post which is Government do not carry shall also be stopped forthwith."

प्रकरण की वस्तु स्थिति का विवरण निम्नानुसार है –

1. संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्रांक प. 9 (2) उशि/ग्रुप–5/2018 दिनाँक 13.03.2018 से वर्द्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन नियतन प्रकरणों मे अनियमितता की जाँच उपरान्त (स्थानीय निधी अंकेक्षण विभाग) विशेष जाँच प्रतिवेदन जारी किया जाकर कुलसचिव को सम्बन्धित कार्मिकों के नवीन पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार संशोधित वेतनमान निर्धारित कर अधिक/अनियमित भुगतान की वसूली करने के निर्देश प्रदान किए गए थे।
2. उच्च शिक्षा विभाग के पूर्वोक्त पत्र दिनाँक 13.03.2018 की पालना में कुलसचिव के आदेश क्रमांक 3299, 3328, 3338 दिनाँक 20.03.2018 से विशेष जाँच प्रतिवेदन में समाविष्ट अनुच्छेदों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के प्रभावित कार्मिकों के पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार वेतनमान संशोधित किए जाने के आदेश जारी किए गए थे।
3. विश्वविद्यालय द्वारा जारी पूर्वोक्त आदेशों को चुनौती देते हुये विश्वविद्यालय के प्रभावित कार्मिकों के द्वारा माननीय उच्च न्यायलय जयपुर में विभिन्न याचिकाऐं दायर कर निम्नानुसार स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये

गये – "In the meanwhile and until further orders, effect and operation of the order dt. 20th March, 2018, shall remain stayed."

4. तदुपरान्त कुलसचिव के पत्र क्रमांक 386 दिनाँक 20.04.2018 से संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को न्यायिक प्रकरण की वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुये न्यायिक आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण का विधिक परीक्षण करवाया जाकर विधिक राय चाही गई थी तथा तत्पश्चात पत्र क्रमांक 1286 दिनाँक 21.08.2018 से संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से उक्त याचिकाओं से प्रभावित विश्वविद्यालय कार्मिकों को ए.सी.पी./पदोन्नति का लाभ दिए जाने एवं सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में भी मार्गदर्शन चाहा गया था, परन्तु वांछित विधिक राय/मार्गदर्शन अप्राप्त रहा।
5. राज्य सरकार से मार्गदर्शन/विधिक राय प्राप्त न होने पर कुलसचिव द्वारा विश्वविद्यालय के पेनल अधिवक्ता जी.के.जी. ऐसोसियेट्स, जयपुर से पूर्वोक्त प्रकरण में राय चाहे जाने पर उक्त अधिवक्ता द्वारा अपने पत्र दिनाँक 27.04.2018 से राय दी गई कि माननीय न्यायालय के स्थगन आदेशों के क्रम में तत्कालीन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी आदेश दिनाँक 06.12.2013 एवं दिनाँक 12.03.2013 से स्वीकृत वेतनमान (राज्य सरकार के विभागों में स्वीकृत पदों के वेतनमान से उच्चतर वेतन श्रृंखला/ग्रेड–पे) का पूर्ववत भुगतान बहाल किया जावे एवं अग्रिम आदेश तक अधिक/अनियमित भुगतान की वसूली नहीं की जावे।
6. तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न स्थगन आदेशों की पालना में कुलसचिव के पूर्वोक्त वर्णित आदेशों को कुलसचिव के आदेश क्रमांक 216–23 दिनाँक 01.05.2018, पत्रांक 317 दिनाँक 19.05.2018, पत्रांक 366 दिनाँक 22.05.2018, पत्रांक 412 दिनाँक 29.05.2018, पत्रांक 486 दिनाँक 05.06.2018 एवं पत्रांक 1066 दिनाँक 31.07.2018 से प्रत्याहरित किया जाकर वेतन संशोधित करने/अधिक अनियमित भुगतान वसूल करने सम्बन्धी आदेशों के प्रभाव एवं क्रियान्वयन पर माननीय न्यायालय के आगामी आदेशों तक रोक लगाई जाकर पूर्व स्थिति बहाल की गई।
7. तदुपरान्त राज्य सरकार द्वारा दिनाँक 15.09.2018 से विश्वविद्यालय कार्मिकों को 7 वें वेतनमान का लाभ दिये जाने की स्वीकृति जारी किए जाने पर माननीय कुलपति के अनुमोदन पर कुलसचिव द्वारा पूर्वोक्त याचिकाओं से प्रभावित कार्मिकों के माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष विचाराधीन रिट याचिकाओं में पारित निर्णय के अध्यधीन सम्बन्धित कार्मिकों का 7 वें वेतनमान में वेतन नियतन किया गया एवं उसके अनुसार माह अक्टूबर, 2018 से 7 वें वेतनमान के अनुसार संषोधित वेतन भुगतान किया जा रहा है, लेकिन 7 वें वेतनमान के एरियर का भुगतान किया जाना अभी शेष है।
8. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के आलोच्य पत्र दिनाँक 27.11.2018 से विश्वविद्यालय कार्मिकों को राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना राज्य सरकार के कार्मिकों से उच्चतर वेतन भत्ते इत्यादि के भुगतान रोकने संबंधी शर्तों के अध्यधीन पूर्वोक्त वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य निधि के ब्लॉक ग्रांट की द्वितीय एवं तृतीय किश्त की राशि के उपयोग किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई हैं।
9. विश्वविद्यालय के विरूद्ध प्रभावित कार्मिकों द्वारा अनियमित/अधिक वेतन वसूली सम्बन्धी प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिकाओं के प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने एवं अनुश्रवण सम्बन्धी कार्यवाही कुलसचिव के स्तर पर की जाती/की जा रही है तथा विश्वविद्यालय में विधि अधिकारी का पद स्वीकृत नहीं होने से पूर्वोक्त न्यायिक प्रकरणों में अन्तिम निर्णय होने तक आलोच्य अवधि में वादी कार्मिकों को पदोन्नति/एसीपी/वेतनवृद्वि/पेंशन परिलाभों एवं 7वें वेतनमान के उद्भूत एरियर राशि के भुगतान इत्यादि के सम्बन्ध में सक्षम विधिक राय/अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु विश्वविद्यालय के पत्रांक 1445 दिनांक 03.12.2018 **(प्रति संलग्न)** से उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार से मार्गदर्शन चाहा गया था लेकिन अभी तक राज्य सरकार से वांछित मार्गदर्शन/7वें वेतनमान के उद्भूत एरियर राशि के भुगतान (माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्यधीन) का अनुमोदन प्राप्त नही हुआ है। विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक कर्मचारियों के द्वारा आलोच्य अवधि के एरियर के भुगतान की निरन्तर मांग की जा रही हैं।

अतः प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकन एवं मार्गदर्शन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प	**समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया। वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि प्ररकण में राज्य सरकार से मार्गदर्शन/सातवे वेतनमान के उद्भूत एरियर राशि के भुगतान (माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्यधीन) का अनुमोदन चाहने हेतु विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 03.12.2018 एवं स्मरण पत्र दिनांक 01.01.2019 से निवेदन किया गया था लेकिन वांछित मार्गदर्शन/विधिक राय/अनुमोदन राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।**

	माननीय कुलपति द्वारा समिति को सूचित किया गया कि शासन सचिवालय से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त प्रकरण से संबंधित पत्रावली वांछित राय हेतु वित्त विभाग को भिजवा दी गई है। जिसके शीघ्र ही निस्तारण की संभावना है। समिति द्वारा प्रकरण का परिशीलन एवं आवश्यक विचार विमर्श उपरान्त निर्देश दिये गये कि राज्य सरकार से वांछित विधिक राय/मार्गदर्शन/अनुमोदन प्राप्त किया जाकर तद्नुसार कार्यवाही संपादित की जावे।

वि.स.क्र. 57.15: विश्वविद्यालय शिक्षको को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमान प्रदान करने के संबंध में।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के पत्रांक एफ1(4)शिक्षा–4/2016 दिनांक 01.10.2018 से विश्वविद्यालय शिक्षको को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमान (यूजीसी द्वारा निर्धारित) प्रदान करने की स्वीकृति बिन्दु संख्या 17 के अन्तर्गत इस आशय के साथ प्रदान की गई है कि पूर्वोक्त वेतनमान प्रबन्ध मण्डल की स्वीकृति से लागू किया जावे।

अतः उच्च शिक्षा विभाग के आलोच्य पत्र दिनांक 01.10.2018 की अनुपालना में विश्वविद्यालय शिक्षको को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित यूजीसी वेतनमान प्रदान करने की अनुमति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

संकल्प	समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर विश्वविद्यालय के शिक्षको/अकादमिक अधिकारियों को दिनांक 01.01.2016 से यूजीसी अनुमोदित सातवे पुनरीक्षित वेतनमान प्रदान करने की अनुशंषा की गई।

वि.स.क्र. 57.16: विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे (Balance Sheet) वित्तीय वर्ष 2017–18 अवलोकन के संबंध में।

विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2017–18 के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा तैयार किये गये वार्षिक लेखे (Balance Sheet) समिति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प	समिति द्वारा वार्षिक लेखों का अवलोकन किया गया।

TABLE AGENDA

वि.स.क्र. 57/ T-1 :– विभिन्न प्रायोगिक शिविरों में मानदेय की दरों के निर्धारण के संबंध मे।

परीक्षा नियंत्रक

–00–

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रायोगिक शिविरों में परामर्शदाताओं को देय मानदेय का निर्धारण लगभग 9 वर्ष पूर्व किया गया था जिसे मुद्रा स्फीति की दर को दृष्टिगत रखते हुये बढाये जाने का प्रस्ताव परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत किया जाकर 07 जून 2018 से जारी श्रम विभाग की अधिसूचना के अनुरूप पूर्वोक्त प्रायोगिक शिविरों हेतु प्रायोगशाला सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को देय मानदेय की दरे न्यूनतम मजदूरी दरों के समकक्ष एवं परामर्शदाता को देय मानदेय यूजी प्रायोगिक परामर्श के लिये रू0 300/– प्रति प्रायोगिक सत्र एवं पीजी प्रायोगिक परामर्श के लिये रू0 400/– प्रति प्रायोगिक सत्र संशोधित कर वृद्वि करने की मांग की गई है।

अतः प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प	**समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया एवं श्रम विभाग राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों के परिपेक्ष्य में प्रस्तावानुसार प्रायोगिक शिविरों/परीक्षा हेतु नियुक्त प्रयोगशाला सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को देय पारिश्रमिक की दरे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों के समकक्ष एवं परामर्शदाता को देय मानदेय यूजी प्रायोगिक परामर्श के लिये रू0 300/– प्रति प्रायोगिक सत्र एवं पीजी प्रायोगिक परामर्श के लिये रू0 400/– प्रति प्रायोगिक सत्र निर्धारित करने की अनुशंषा की गई।**

वि.स.क्र. 57/T-2 :– मुद्रित पाठ्य पुस्तको की तकनीकी जॉच हेतु नमूने लेने की प्रक्रिया निर्धारित करने के संबंध में।

निदेशक (एमपीडी)

–00–

विश्वविद्यालय के पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय जयपुर से मुद्रित कराई जाने वाली पुस्तको में समान प्रकार के कागज एवं आर्ट कागज उपयोग में लिये जाने के प्रेस को कार्यादेश दिये जाते है। प्रेस द्वारा मुद्रित पुस्तको में प्रयुक्त पेपर, आर्ट पेपर की तकनीकी जॉच तृतीय पक्ष प्रयोगशाला से कराई जाती है।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग द्वितीय के अनुसार सामग्री के अधिकतम 10 प्रतिशत तक जॉच हेतु नमूने लिये जाने का प्रावधान है तथा नमूना खराब होने पर शत प्रतिशत जॉच का उल्लेख है।

निदेशक पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि यदि आईटम वाईज 1 प्रतिशत नमूने जॉच हेतु निकाले जाये तो भी जॉच हेतु काफी पुस्तके निकालनी होगी जिनका उपयोग जॉच उपरान्त विद्यार्थियों के लिये नही हो सकेगा। साथ ही जॉच पर अधिक संख्या में आईटम लिये जाने पर प्रयोगशाला को जॉच हेतु अधिक भुगतान करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा मुद्रित कराई जाने वाली पाठ्य पुस्तको के नमूने निकालने की प्रक्रिया का निर्धारण सक्षम समिति द्वारा करावाया जाना प्रस्तावित है।

अतः प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प	**समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमो तथा मुद्रित होने वाली सभी पुस्तको में समान प्रकार के रॉ मटेरियल (सामग्री) का प्रयोग होने के परिपेक्ष्य में प्रेस को दिये जाने वाले कार्यादेश में अंकित आईटम्स की संख्या के 10 प्रतिशत आईटम्स एवं न्यूनतम 10 पुस्तके तकनीकी जॉच हेतु तृतीय पक्ष (प्रयोगशाला) को भिजवाने की अभिशंषा की गई।**

बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

कुलपति एवं अध्यक्ष

नियंत्रक (वित्त) एवं सदस्य सचिव